



2026:AHC:7783

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 190 वर्ष 2026

शिव शंकर यादव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : एम. आसिफ, संतोष कुमार, सैयद मो. शहाब

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार जोशी वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की मांग करते हैं, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 27.09.2025 (इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 5) के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश अंतर्निहित दोष के कारण, नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ मांग की गयी है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ **खारिज करके वापस** लिया जाता है।

आदेश दिनांक: जनवरी 13, 2026

एन.एस.राठौर

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।